राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः एफ.10( )चुनाव/जन/स्वाशा/21/2189-2205 जयपुर,दिनांकः 1/7/2021

प्रेषकः–

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग,
राज0 जयपुर।

प्रेषितिः–

अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका बसेडी, मण्डावरी, सरमथुरा, जावाल,
सीकरी,बस्सी, अटरू, सपोटरा, बानसूर, भोपालगढ,
रामगढ, सुल्तानपुर, पावटा–प्रागपुरा, बामनवास,
लक्ष्मणगढ, लालगढ जाटान, उच्चैन।

विषयः– बजट घोषणा 2020–21 की पालना में विभागीय अधिसूचना दिनांक 23.03.2021, 24.03.2021 एवं 25.03.2021 द्वारा नवगठित 17 नगरपालिकाओ के चुनाव 2021 हेतु नगरपालिकाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डो के परिसीमंन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक 1657–1668 दिनांक 15..04.2021 एवं 1717–1733 दिनांक 28.04.2021 ।

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में निर्देशानुसार विभागीय समसंख्यक पत्रांक 1657– 1668 दि. 15.04.2021 व 1717–1733 दि. 28.04.2021 के द्वारा जारी किये गये वार्ड परिसीमांकन कार्यक्रम की समय सारणी में आशिंक संशोधन निम्न प्रकार से किया जाता है।

कृपया निम्न कार्यक्रम के अनुसार समय पर कार्यवाही पूर्ण करेः–

क्रं. सं.	विषय/गतिविधियॉ	कुल दिवस	प्रस्तावित कार्यक्रम
1.	वार्डो में पुनर्सीमाकन के प्रस्ताव तैयार करना एंव प्रकाशन	30 दिवस	22 जून 2021 से 21 जूलाई 2021तक
2.	पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना एंव आपत्तियॉ प्राप्त करना।	15 दिन	22 जूलाई 2021 से 05 अगस्त 2021
3.	वार्ड गठन प्रस्ताव मय नक्शे एवं प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किया जाना	10 दिन	06 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2021तक
4.	राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन	15 दिन	16 अगस्त 2021 से 30अगस्त 2021 तक

उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार परिसीमांकन कार्य एवं वार्डो का आरक्षण पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य प्रगति से संबंधित पत्र निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को संबोधित किया जायेगा। वार्डो का पुर्नसीमांकन एवं पुर्नगठन करते समय इससे संबंधित नियमों एवं पूर्व में जारी निर्देश यथावत रहेगें अतः निर्देशों का पूर्ण अध्ययन कर उन्ही के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करे।

आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Scanned with CamScanner

क्रमांकः एफ.10( )चुनाव/जन/स्वाशा/21/2205-2270 दिनांकः 1/7/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, उप शासन सचिव/आयुक्त पंचायत राज विभाग, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर।
8. जिला कलक्टर, धौलपुर, दौसा, सिरोही, भरतपुर, जयपुर, बारा, करौली, अलवर, जोधपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, को सूचनार्थ प्रेषित कर निवेदन है कि विभागीय सम संख्यक पत्रांक 1657-1668 दिनांक 15.04.2021, 1717-1733 दिनांक 28.04.2021 में उपरोक्तानुसार आंशिक संशोधन करते हुये वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव अनुमोदन की कार्यवाही संबंधित अधिशाषी अधिकारी के द्वारा की जानी है।
9. समस्त संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर पालिका)।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर को भेजकर लेख है कि संबंधित से समन्वय स्थापित कर उक्त समयावधि में कार्यवाही पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करे।
11. अधीक्षक, राज्यकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी निगम/परिषद/पालिका .... को भेजकर लेख है कि नव गठित नगर पालिका...................................... के वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव बाबत सभी कार्यवाही हेतु आपके यहा पदस्थापित डी.टी.पी/एस.टी.पी को संबधित नव गठित नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी को उक्त कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित करे एवं उक्त कार्य तय समयावधि में पूर्ण करवाया जाना सूनिश्चित करे।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
14. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु।
15. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned with CamScanner